चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). 12वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के दृष्टिगत दिनांक 15 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे योग सप्ताह के क्रम में आज दिनांक 19.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में पुलिस लाइन्स स्थित परेड ग्राउंड में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में क्षेत्राधाकारी नगर श्री यामीन अहमद,प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव व जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट के प्रभारी योग विभाग श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह एवं उनके सहयोगियों द्वारा पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय,विभिन्न शाखाओं एवं थानों से परेड में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को योगाभ्यास कराया गया।
योग प्रशिक्षकों द्वारा उपस्थित पुलिस कर्मियों को विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराते हुए उनके शारीरिक एवं मानसिक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान नियमित योग को स्वस्थ जीवनशैली का आधार बताते हुए सभी को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित किया गया। योगाभ्यास के दौरान बताया गया कि "योग भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन ज्ञान परम्परा की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज सम्पूर्ण विश्व ने अपनाया है। भारत की इस महान विधा ने विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन एवं आत्मबल का मार्ग प्रदान किया है। हमें गर्व होना चाहिए कि योग की उत्पत्ति भारत में हुई तथा आज यह वैश्विक स्तर पर सम्मानित एवं स्वीकार्य है। आने वाली पीढ़ियों को योग की इस धरोहर से जोड़ना हम सभी का दायित्व है।"साथ ही यह भी बताया गया कि "योग न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सशक्त बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव को दूर कर आत्मसंयम, अनुशासन, एकाग्रता एवं मानसिक स्थिरता का भी विकास करता है। वर्तमान समय की व्यस्त एवं तनावपूर्ण जीवनशैली में मानसिक शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम योग है।" तत्पश्चात पुलिस द्वारा शुक्रवार की अर्दली रूम किया गया।
कार्यक्रम के अंत में सभी पुलिस कर्मियों से नियमित रूप से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया गया, जिससे वे स्वयं स्वस्थ रहकर समाज की बेहतर सेवा कर सकें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा कुल्हाड़ी से हमला करने वाले अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र दयानन्द निवासी चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.06.2026 को वादी पंकज मिश्रा पुत्र दयानन्द निवासी चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी गयी कि 15-6-2026 को अभियुक्तगण कृष्ण कुमार पुत्र दयानन्द व कलावती पत्नी कृष्ण कुमार निवासीगण चिल्लीमल थाना सरधुवा द्वारा गाली गलौज करते हुये वादी व वादी के भाई जितेन्द्र, दयानंद को जान से मारने की नियत से चाकू कुल्हाडी व लात घूंसो से मारपीट करना जिससे वादी के दाहिने हाथ की अंगूली में चोट आना व वादी के भाई जितेन्द्र मिश्रा के सिर पर गम्भीर चोटे आना व पिता दयानंद का दांत टूट जाना तथा जान से मारने की धमकी देना । इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु.अ.सं. 110/2026 धारा 115(2),352,351(3),117(2),109(1),118(1) बीएनएस बनाम कृष्ण कुमार पुत्र दयानन्द व कलावती पत्नी कृष्ण कुमार निवासीगण चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।
आज दिनाँक 19.06.2026 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह एवं उनकी टीम ने अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र दयानन्द निवासी चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। पूंछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि घटना के बाद मैने कुल्हाड़ी को डर के कारण यमुना नदी में बीच धारा में फेंक दिया था। चाकू मेरे पास नही थी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह

2.आरक्षी शुभम पटेल
3.आरक्षी अभिषेक यादव

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 19.06.2026 को राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त इस्माइल खान पुत्र इसहाक खान निवासी रामपुर बांगर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।
आवेदिका आरती देवी पुत्री श्यामलाल थाना राजापुर द्वारा अपने पति गुलाब पुत्र रामसुहावन थाना क्षेत्र राजापुर के विरुद्ध लडाई झगडा करना,गाली गलौच तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र से महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह
2.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियानऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आज दिनांक 19.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार तथा न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में सर्वप्रथम अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने एवं समय से माननीय न्यायालय पहुंचने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा इस गोष्ठी में चलाये जा रहे अभियान एक्शन प्लान के तहत हाईकोर्ट से सम्बन्धित मुकदमों में जल्द से जल्द निस्तारण कराये जाने व ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जघन्य अपराधों को जल्द से जल्द निस्तारण कराने,सम्मन वारण्टी एवं ई-सम्मन आदि से सम्बन्धित कार्य देख रहे पैरोकार,कोर्ट मोहर्रिरों को ई-सम्मन के बारे में बताया गया कि माननीय न्यायालय से अधिक से अधिक ई-सम्मन कार्यवाही की जाए तथा इस वर्ष में हुई पैरवी के कार्यो की समीक्षा एवं आगामी एजेन्डा बिन्दु

थाना काजलिस्ट रजिस्टर, दिनांकवार काजलिस्ट रजिस्टर, साक्षी उपस्थित रजिस्टर, पर्चा फैसला रजिस्टर, रजिस्टर आरोप तय 313 सीआरपीसी, निर्गत सम्मन दर्ज करने हेतु रजिस्टर, रिमाण्ड रजिस्टर एवं सम्मन/वारण्टी रजिस्टर तैयार कर व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा शाखा सम्मन सेल द्वारा कार्यालय के अन्दर जनपद रजिस्टर/बाह्य रजिस्टर में अंकित करके सम्बन्धित थानों की डाकबहियों में अंकित करके डाक पैरोकार के माध्यम से थानों में तामील कराने हेतु भेजे एवं सजा दिलाने हेतु पैरोकारों द्वारा बुलाए गये साक्षियों की शत् प्रतिशत साक्ष्य सुनिश्चित कराने हेतु,माननीय न्यायालय में साक्षियों के हस्ताक्षर कराने हेतु रजिस्टर रखने एवं उसमें हस्ताक्षर कराने हेतु कोर्ट मुहर्रिर को निर्देशित किया गया।
इस दौरान प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव, सम्मन सेल प्रभारी उ0नि0 श्री ननकऊ गौतम,न्यायिक सम्मन सेल सुरेन्द्र नाथ तिवारी उपस्थित रहे।